रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032025-261501
CG-DL-E-07032025-261501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2025/फाल्गुन 16, 1946
No. 127]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2025/PHALGUNA 16, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 161(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग-III पद) भर्ती नियम, 1963 को, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ चर्मप्रसाधक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हैं या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में कनिष्ठ चर्मप्रसाधक ग्रेड-III के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मंत्रालय (चर्मप्रसाधक ग्रेड III) भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति, -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

File No. 02/01/2024-CSZ (Computer No. 234995)
Generated from eOffice by MONIKA SHARMA, OA(MS)-CS-II, OFFICE ASSISTANT, MOEFCC on 21/03/2025 10:17 am

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्तियां-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए ए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद हो या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चर्मप्रसाधक ग्रेड -III	10* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'सी', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु. 29200-92300)।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से एक विषय के रूप में जीवविज्ञान के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त या स्थानीय निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन से चर्म प्रसाधन में 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से एक विषय के रूप में जीवविज्ञान के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा। **टिप्पणी 1.-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में कर्मचारी यचन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नही होता	दो वर्ष।

File No. 02/01/2024-CSZ (Computer No. 234995)
Generated from eOffice by MONIKA SHARMA, OA(MS)-CS-II, OFFICE ASSISTANT, MOEFCC on 21/03/2025 10:17 am

टिप्पणी 2.- अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रय पर कर्मचारी यचन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन, अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां या, केन्द्रीय सरकार में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले या वेतन में मैट्रिक्स स्तर-4 (25500-81100 रुपए) पर पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अनुभव रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकती है।	लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण – अध्यक्ष; (ii) कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – सदस्य; (iii) कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 02/01/2024-सीएसजेड]

नमीता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICAION

New Delhi, the 25th February, 2025

G.S.R. 161(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Class-III posts) Recruitment Rules, 1963, in so far as they relate to the post of Junior Taxidermist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Taxidermist Grade III in the Zoological Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Zoological Survey of India (Taxidermist Grade III) Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. – The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age- limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Taxidermist Grade III.	10* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	Between 18 and 27 years (relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Essential: (i) 12th Class passed with Biology as one of the subjects from a recognised Board or Institute and 3 years' practical experience in taxidermy from an organisation recognised by the Central Government or State Government or Union territory Administration or Public Sector Undertaking or Autonomous or Local Body; or (ii) 12th Class passed with Biology as one of the subjects from a recognised Board or Institute and Diploma in Museology from a	Not applicable.	Two years.

File No. 02/01/2024-CSZ (Computer No. 234995)
Generated from eOffice by MONIKA SHARMA, OA(MS)-CS-II, OFFICE ASSISTANT, MOEFCC on 21/03/2025 10:17 am

recognised University or Institute. **Note 1.-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-** The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note.-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or on long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more, may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis or with 5 years' regular service in posts in the level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of.- (i) Director, Zoological Survey of India – Chairman; (ii) Head of Office, Botanical Survey of India – Member; (iii) Head of Office, Zoological Survey of India – Member.	Not applicable.

[F. No.02/01/2024-CSZ]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA